तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1. अपील डिक्री/टी0ए0/4342/2012/सीकर रतन बनाम मालू व अन्य 2. अपील डिक्री/टी0ए0/4343/2012/सीकर रतन बनाम मालू व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.02.2022	**खण्डपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य** **उपस्थित** श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अपीलांट के। श्री दुनीचन्द डिडारिया, अभिभाषक रेस्पो0 के। श्री आशीष जैन, अभिभाषक रेस्पो0 1,2,4,5 के। श्री श्रीनिवास बेनीवाल, रेस्पो0 6 के । **निर्णय** यह अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सीकर दिनांक 25.05.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 1 मालू ने परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर, प्रथम सीकर के समक्ष एक राजस्व वाद वास्ते उदघोषणा बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतू प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय ने पूर्ण सुनवाई कर निर्णय दिनांक 20.6.11 के द्वारा वाद में प्राथमिक डिक्री जारी करते हुये आदेश दिया कि आराजीयात में पक्षकारान के हक व हिस्से तथा मौके पर उनके कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्तारव तैयार कर भिजवाये। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार दांतारामगढ ने बंटवारा प्रस्ताव बनाया जाकर कुर्रे न्यायालय के समक्ष प्रेषित कर दिये। उक्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 03.8.11 से बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार करते हुये अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी। उक्त प्राथमिक डिक्री व अंतिम डिक्री के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सीकर के समक्ष पांच अपीलें प्रस्तुत की गयी। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25.5.	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1. अपील डिक्री/टी0ए0/4342/2012/सीकर रतन बनाम मालू व अन्य 2. अपील डिक्री/टी0ए0/4343/2012/सीकर रतन बनाम मालू व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	12 से प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.6.11 व अंतिम डिक्री दिनांक 03.8.11 को खारिज किये जाने के आदेश पारित कर दिये। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 25. 05.12 के विरूद्ध उक्त दोनों अपीलें प्रस्तुत की गयी है। उक्त दोनों अपीलों में पक्षकार व विधिक बिन्दु समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति उपरोक्त वर्णित प्रकरणों में पृथक–पृथक से लगायी जावे। दौराने अपील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य आपसी राजीनामा व सहमति हो गयी है। अतः प्रार्थना अंतर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 को स्वीकार करते हुये प्रकरण का निस्तारण किया जावे। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अंतर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 पर सुनी गयी एवं पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड का भी अवलोकन किया। इस प्रकरण में प्रस्तुत अपील व अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व सलंग्न राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पक्षकारों के मध्य विचाराधीन घोषणा व बंटवारे के दावे में दिनांक 20.06.11 को प्राथमिक डिक्री जारी की गयी और दिनांक 03.8.11 को अंतिम डिक्री जारी की गयी। इस संबंध में अपीलीय न्यायालय में कुछ पक्षकारों द्वारा पांच अपीलें प्रस्तुत की गयी थी। जिनको अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25.5.12 से स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.06.11 व अंतिम डिक्री दिनांक 03.8.11 खारिज कर दी। अपीलीय न्यायालय के इस निर्णय दिनांक 25.5.12 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिसमें अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.05.12 अपास्त कर परीक्षण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1. अपील डिक्री/टी0ए0/4342/2012/सीकर रतन बनाम मालू व अन्य 2. अपील डिक्री/टी0ए0/4343/2012/सीकर रतन बनाम मालू व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय के निर्णय को यथावत रखने का निवदेन किया। इस संबंध में रेस्पो0 1 व 2 ने जरिये अभिभाषक धारा 151 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके इस ाारा 151 सी0पी0सी0 के प्रार्थना के पैरा संख्या 6 व 7 के अनुसार परीक्षण न्यायालय के निर्णय में संशोधन कर दिया जावे और अपील अपीलांट स्वीकार करते हुये अपीलीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.12 को निरस्त कर दिया जावे। पक्षकारों के मध्य धारा 151 सी0पी0सी0 के प्रार्थना के अनुसार सहमति व राजीनामा होने से धारा 151 सी0पी0सी0 का प्रार्थना स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अतः अपील अपीलांट आंशिकरूप से स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.5.12 निरस्त किया जाता है। प्रकरण मूल ही परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे पक्षकारों के मध्य धारा 151 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र को मध्यनजर रखते हुये और सभी संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करें। उभयपक्ष परीक्षण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.22 को उपस्थित होवे। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुरेन्द्र माहेश्वरी)** **सदस्य** **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	